

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/एम 1-20/2018-591

पटना, दिनांक 06/3/2019

विषय :- राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार के पत्रांक 1-7/2015-U.II(1) एवं पत्रांक 1-7/2015-U.II(2) दिनांक 02.11.2017 द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/पदाधिकारियों के सातवें वेतन पुनरीक्षण हेतु आदेश निर्गत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना है।

2. उक्त आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 2203 दिनांक 30.11.2018 द्वारा राज्य के राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में समीक्षोपरांत अनुशंसा देने हेतु श्री सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

3. समिति की अनुशंसा के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि समिति द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु यू0जी0सी0 द्वारा वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा को आधार बनाते हुए उनके सदृश्य वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा की गयी है।

4. राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के संकल्प को आधार बनाते हुए उनके सदृश्य वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा की गयी है।

5. समिति की अनुशंसा में वर्णित तथ्यों पर सम्यक् समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर

कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों के संबंध में निम्न रूपेण निर्णय लिए गए हैं :-

(क) राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकों को यू0जी0सी0 के द्वारा किए गए वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक एवं आर्थिक लाभ दिनांक 01.01.2016 से देय होगा।

(ख) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ दिनांक 01.01.2016 से तथा उसका आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा।

(ग). राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए किए गए वेतन पुनरीक्षण के समरूप किए जाने का निर्णय लिया गया है, परंतु इसके लिए केन्द्र सरकार/यू0जी0सी0 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु लागू किए गए अर्हता को हू-ब-हू राज्य में लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(घ). राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के सिद्धांत पर ही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(ङ). वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में निम्न तथ्यों को भी ध्यान में रखने का निर्णय लिया गया है :-

(i) विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के वैसे पद जो राज्य सरकार में भी उसी पदनाम से उपलब्ध है, तथा दोनो स्थानों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं योग्यता एक समान हो, तब वैसे स्थिति में राज्य कर्मियों के समतुल्य वेतन पुनरीक्षण किया जाए।

(ii) कतिपय मामलों में राज्य सरकार से निम्नतर वेतन स्तर अनुमान्य किया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में संबंधित सम्वर्ग का सम्वर्गीय नियम राज्य कर्मियों के अनुरूप नहीं है। राज्य कर्मियों के अनुरूप वेतन स्तर तभी अनुमान्य किया जा सकेगा, जब सम्वर्गीय नियम राज्य कर्मियों के समतुल्य पुनरालेखित कर दिया जाए।

(iii) विश्वविद्यालयों के वैसे शिक्षकेत्तर कर्मी जिनका पद एवं वेतनमान राज्य सरकार में पूर्व से आस्तित्व में नहीं है, वैसे मामले में वेतन पुनरीक्षण हेतु राज्य सरकार में उस अपुनरीक्षित वेतनमान का वेतन पुनरीक्षण में प्रतिस्थानी वेतन स्तर अनुमान्य किया गया है।

(iv) वेतन पुनरीक्षण हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों/राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप ही राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/पदाधिकारियों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के संबंध में नये वेतन स्तर आधारित (पे स्केल लेवल) पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनरीक्षित वेतन संरचना राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को लागू होगा, जो दिनांक 01.01.2016 को सेवा में हैं तथा ऐसी सभी नियुक्तियों पर लागू होगा जो उक्त तिथि को या इसके उपरांत की जाएगी,

परंतु

(क). राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के ऐसे शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में जो दिनांक 01.01.16 को निलम्बित थे अथवा अवकाश पर थे अथवा कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना कर्तव्य पर लौटने की तिथि से लागू होगी तथा अनुपस्थिति की अवधि के लिए बकाये अनुमान्य नहीं होगी।

(ख). महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2017 को राज्य कर्मियों की भाँति 4% की दर से भुगतये होगा।

समिति की यह स्पष्ट अनुशांसा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मियों के

साथ वित्त विभाग के समेकित संकल्प से महंगाई भत्ते के समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षित दर को लागू किया जाए।

(ग). अन्य सभी भत्ते उसी संशोधित रूप में देय होंगे, जैसा की इस अनुशंसा में समाहित किया गया है। संशोधित भत्ते उस तिथि से देय होंगे, जिस तिथि से राज्य सरकार समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए उसे अधिसूचित करेगी।

(घ). शिक्षकों एवं समतुल्य सम्वर्गों (पुस्तकाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक सम्वर्ग) के लिए अनुसूची (Schedule) I में सामान्य प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतन स्तर तथा अनुसूची (Schedule) II में वेतन मैट्रिक्स संलग्न किया गया है, जिसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अनुसूची (Schedule) III में सामान्य प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतन स्तर एवं अनुसूची (Schedule) IV में वेतन मैट्रिक्स संलग्न किया गया है, जिसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जाएगा।

6. परिभाषाएँ :- (i) "विद्यमान मूल वेतन" (existing basic pay) से अभिप्रेत है निष्क्रियता वेतन वृद्धि (यों) सहित विहित वेतनमान में आहरित वेतन, परंतु इसमें 'विशेष वेतन' इत्यादि जैसी किसी अन्य प्रकार की वेतन वृद्धि शामिल नहीं है।

(ii) विश्वविद्यालय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना हेतु निर्गत होने वाली अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत या स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन।

(iii) विश्वविद्यालय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से अभिप्रेत है अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को विश्वविद्यालय सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान।

(iv) विश्वविद्यालय सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से अभिप्रेत है वे बैंड की वर्तमान प्रणाली तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना की नई नियमावली के

22

22

प्रभावी होने से ठीक पहले की तिथि को विश्वविद्यालय सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान चाहे वह पद सादवान पद हो या स्थानापन्न।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है 01.01.2016 को इण्डेक्स औसत पर (i) विद्यमान मूल वेतन तथा (ii) महंगाई भत्ता का योग।

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अभिप्रेत है पहले से मौजूद वेतन बैंड तथा अनुसूची (ii) एवं (iv) (जैसा लागू हो), में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन तथा स्केल के तत्सम यथा समनुदेशित लम्बवत कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित वेतन के स्तरों के साथ अनुसूची (Schedule) में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स।

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "वेतन स्तर" से अभिप्रेत है पहले से मौजूद वेतन बैंड तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन के तत्सम वेतन स्तर।

(viii) "वेतनमान स्तर में वेतन" से अभिप्रेत है अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट स्तर के उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतनमान।

(ix) पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से अभिप्रेत है, पद के विद्यमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के तत्सम उसमें विनिर्दिष्ट स्तर तथा वेतन मैट्रिक्स, जब तक कि उस पद के लिए एक भिन्न पुनरीक्षित स्तर पृथक रूप से अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

(x) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से अभिप्रेत है वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन।

(xi) "संशोधित परिलब्धियाँ" से अभिप्रेत है पुनरीक्षित वेतन संरचना में विश्वविद्यालय सेवक के स्तर में वेतन तथा

(xii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से साथ संलग्न अनुसूची।

7. पदों का स्तर —पदों के स्तर का निर्धारण विद्यमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट वेतन स्तर के लिए निर्धारित विभिन्न स्तरों के अनुरूप होगा।

8. शिक्षक एवं समतुल्य पदों का वेतन पुनरीक्षण —

(क) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) शिक्षकों के मात्र तीन पदनाम होंगे यथा सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा

प्रोफेसर। पुस्तकालय तथा शारीरिक शिक्षा के विभिन्न स्तर के कर्मियों के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) वेतन निर्धारण प्रक्रिया – राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकों एवं समतुल्य पदों के विभिन्न श्रेणियों की पुनरीक्षित वेतना संरचना निम्न तथ्यों पर आधारित होगा :-

(i) वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा पे बैंड एवं एकेडमिक ग्रेड पे के स्थान पर वेतन पुनरीक्षण हेतु एकेडमिक वेतन स्तर तथा क्षैतिज एवं लम्बवत कोष्ठिकाओं में व्यवस्थित वेतन स्तरों को आधार बनाया गया है।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रथम एकेडमिक वेतन स्तर (एकेडमिक ग्रेड पे 6000 के समतुल्य) को 10 वेतन स्तर माना गया है। उसी प्रकार अन्य एकेडमिक वेतन स्तर को 11, 12, 13A, 14 एवं 15 वेतन स्तर माना गया है।

(iii) किसी एकेडमिक स्तर पर प्रत्येक कोष्ठक (cell) उसी एकेडमिक वेतन स्तर के अपने पिछले कोष्ठक (cell) से 3 प्रतिशत उच्चतर है।

(iv) अपुनरीक्षित एकेडमिक ग्रेड पे 10000 से नीचे के स्तर के लिए युक्तिकरण का सूचकांक (Index of Retionasation) 2.67 है तथा एकेडमिक ग्रेड पे 10000 से उपर के स्तर के लिए युक्तिकरण का सूचकांक 2.72 है।

(v) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए प्रवेश वेतन निम्नवत् होगा:-

| वेतन स्तर (Pay Level) | एकेडमिक ग्रेड वेतन (Academic Grade Pay) (in Rs.) | प्रवेश वेतन (Entry Pay) (in Rs.) |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 10 | 6,000 | 21,600 |
| 11 | 7,000 | 25,790 |
| 12 | 8,000 | 29,900 |
| 13A | 9,000 | 49,200 |
| 14 | 10,000 | 53,000 |
| 15 | | 67,000 |

(vi) उपरोक्त प्रस्तावित एकेडमिक वेतन स्तर कोष्ठक, (Cells) तथा प्रवेश वेतन के आधार पर वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) की तालिका अनुसूची I एवं II के रूप में संलग्न है।

(vii) किसी शिक्षक/कर्मि का नये पे मैट्रिक्स के अनुसार दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण हेतु शिक्षक के अपुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त वेतन (पे बैंड तथा एकेडमिक ग्रेडपे0 का योग) को 2.57 के गुणक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार जो अंक प्राप्त होगा, उसे शिक्षक के पे बैंड तथा एकेडमिक ग्रेडपे0 के अनुसार नये पे मैट्रिक्स के एकेडमिक वेतन स्तर से मिलान किया जाएगा। प्राप्त अंक नये वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) के संगत एकेडमिक वेतन स्तर के जिस कोष्ठक के समरूप होगा, वही उस शिक्षक का पुनरीक्षित वेतन होगा, अन्यथा उस एकेडमिक वेतन स्तर में अवस्थित इससे उच्चतर कोष्ठक (cell) में अंकित अंक उस शिक्षक का पुनरीक्षित वेतन होगा। यदि प्राप्त अंक उस एकेडमिक वेतन स्तर में उपलब्ध प्रथम कोष्ठक (cell) के अंक से भी कम होगा तो वैसी स्थिति में उस एकेडमिक वेतन स्तर का प्रथम कोष्ठक (cell) शिक्षक का पुनरीक्षित वेतन होगा।

यदि वैसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ दो स्तरों को एक साथ गुच्छित किया गया हो तो वैसी स्थिति में प्रत्येक गुच्छ के लिए 3% के बराबर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देते हुए पे मैट्रिक्स के अगले कोष्ठक (cell) के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा।

(viii) विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकों वेतन पुनरीक्षण।

| विद्यमान वेतनमान | अनुशंसित पुनरीक्षित वेतन स्तर |
|--|--|
| सहायक प्रोफेसर (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 6000/-) | सहायक प्रोफेसर- एकेडमिक वेतन स्तर 10 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 57700) |
| सहायक प्रोफेसर (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 7000/-) | सहायक प्रोफेसर - एकेडमिक वेतन स्तर 11 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 68900) |
| सहायक प्रोफेसर (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 8000/-) | सहायक प्रोफेसर- एकेडमिक वेतन स्तर 12 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 79800) |

| | |
|--|---|
| सह प्रोफेसर (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 9000 / -) | सह प्रोफेसर - एकेडमिक वेतन स्तर 13ए (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 131400) |
| प्रोफेसर (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 10000 / -) | प्रोफेसर - एकेडमिक वेतन स्तर 14 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 144200) |
| प्रोफेसर (उच्चतम एकेडमिक ग्रेडपे0 वेतनमान/पे बैंड 67000-79000 / -) | प्रोफेसर - एकेडमिक वेतन स्तर 15 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 182200) |

(ix) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों का वेतन पुनरीक्षण।

| विद्यमान वेतनमान | अनुशासित पुनरीक्षित वेतन स्तर |
|--|--|
| सहायक पुस्तकाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 6000 / -) | सहायक पुस्तकाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष - एकेडमिक वेतन स्तर 10 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 57700) |
| सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान) 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 7000 / -) | सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरीय वेतनमान) - एकेडमिक वेतन स्तर 11 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 68900) |
| उप पुस्तकाध्यक्ष/सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 8000 / -) | उप पुस्तकाध्यक्ष/सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड - एकेडमिक वेतन स्तर 12 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 79800) |
| उप पुस्तकाध्यक्ष/सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 9000 / -) | उप पुस्तकाध्यक्ष/सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, सेलेक्शन ग्रेड - एकेडमिक वेतन स्तर 13ए (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 131400) |

| | |
|---|--|
| विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 10000/-) | विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, -एकेडमिक वेतन स्तर 14 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 144200) |
|---|--|

(x) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के खेल एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का वेतन पुनरीक्षण।

| विद्यमान वेतनमान | अनुशंसित पुनरीक्षित वेतन स्तर |
|--|--|
| खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 6000/-) | खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक/महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक -एकेडमिक वेतन स्तर 10 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 57700) |
| खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरीय वेतनमान) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरीय वेतनमान) (15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 7000/-) | खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (वरीय वेतनमान) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरीय वेतनमान) -एकेडमिक वेतन स्तर 11 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 68900) |
| खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) (वेतनमान 15600-39100 एकेडमिक ग्रेडपे0 8000/-) | खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) -एकेडमिक स्तर 12 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 79800) |
| खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) | खेल एवं शारीरिक शिक्षा उप निदेशक/खेल एवं शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक (सेलेक्शन गेड) /महाविद्यालय के खेल एवं शारीरिक |

Handwritten signatures and marks.

| | |
|--|---|
| (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 9000/-) | शिक्षा निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) -एकेडमिक वेतन स्तर 13ए (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 131400) |
| विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (वेतनमान 37400-67000 एकेडमिक ग्रेडपे0 10000/-) | विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक -एकेडमिक वेतन स्तर 14 (युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 144200) |

9. विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति का वेतन पुनरीक्षण।

(क). **प्रतिकुलपति**— अपुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य के विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति को वर्तमान वेतनमान 37,400-67,000/- रुपये में 10,000/- ग्रेडपे0 अनुमान्य है तथा रू 4,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता इस शर्त के साथ अनुमान्य है कि पे बैंड में वेतन एवं एकेडमिक ग्रेडपे तथा विशेष भत्ता मिलाकर रू0 80,000/- से अधिक नहीं हो।

पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत प्रतिकुलपति को एकेडमिक स्तर 14 अनुमान्य होगा तथा रू0 4,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमान्य किया जाएगा।

(ख). **कुलपति**— अपुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति को 75,000/- (निश्चित वेतन) + 5,000/- (विशेष वेतन) अनुमान्य है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति का वेतनमान रू0 2,10,000/- (निश्चित वेतन) होगा। कुलपति के पुनरीक्षित वेतन संरचना हेतु वेतन का निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन रू0 75,000/- में 2.81 के गुणक से गुणा करके तथा प्राप्त होने वाली राशि को उसके निकटतम रू0 5,000/- से round off करके निर्धारित किया जाएगा। कुलपति को पूर्व की भाँति रू0 5,000/- विशेष वेतन प्रतिमाह अनुमान्य होगा।

10. महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों का वेतन पुनरीक्षण :-

(क) **स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य** — अपुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को वेतनमान पे0 बैंड

37400-67,000/- तथा एकेडमिक ग्रेडपे0 रू0 10,000/- अनुमान्य है। इसके साथ प्रधानाचार्य को रू0 2,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमान्य है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रधानाचार्य को एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन के समतुल्य मानते हुए एकेडमिक स्तर 13ए में रखा जाएगा तथा युक्तिसंगत प्रवेश वेतन न्यूनतम रू0 1,31,400/- होगा। इसके साथ इन्हे रू0 2,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता देय होगा।

(ख) स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य - स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपुनरीक्षित वेतनमान पे0 बैंड 37,400-67,000/- तथा एकेडमिक ग्रेडपे रू0 10,000/- अनुमान्य है तथा इन्हे रू 3,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता अनुमान्य है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में इन्हे प्रोफेसर के समतुल्य एकेडमिक स्तर 14 में रखा जाएगा तथा इनका युक्तिसंगत प्रवेश वेतन रू0 1,44,200/- होगा। साथ ही इन्हे रू0 3,000/- प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रतिमाह पूर्व की भाँति देय होगा।

नोट :- (1). प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की पूर्व के पद पर प्राप्त होने वाले वेतन के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।

(2). प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उनके पूर्व के एकेडमिक पद पर लीएन सुरक्षित रहेगा तथा वे वैचारिक रूप से प्रोन्नति पाने के हकदार होंगे।

11. उच्चतर योग्यता के लिए प्रोत्साहन भत्ता - पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रोत्साहन भत्ता को समाहित करते हुए ही वेतन संरचना की अनुशंसा की गई है, जिसमें जैसे शिक्षक जिन्हे एम0फील0 अथवा पी0एच0डी0 की उपाधि होगी उन्हे कैरियर एडभांसमेंट स्कीम के तहत तेजी से उच्चतर वेतनमान का प्रक्रम प्राप्त हो सकेगा। अतः केन्द्र सरकार के अनुरूप ही अलग से कोई प्रोत्साहन भत्ता अपेक्षित नहीं है।

12. विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के संदर्भ में वेतन पुनरीक्षण - बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में विधिवत् रूप से स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत विश्वविद्यालय मुख्यालय के पदाधिकारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना की अनुशंसा अधोलिखित तालिका/विवरणी के अनुसार की जाती है।

| क्र० | पद का नाम | दिनांक 01.01.2006 से विद्यमान वेतनमान | | दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में अनुशंसित वेतन स्तर |
|---|---------------------------|--|------------|---|
| | | वेतन बैण्ड | ग्रेड वेतन | वेतन स्तर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (क) विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन शिक्षकेत्तर पदाधिकारी की स्थापना | | | | |
| 1 | कुलसचिव | 37400-67000 | 10000 | वेतन स्तर 14 |
| 2 | उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद | 15600-39100 | 7600 | वेतन स्तर 12 |
| 3 | सहायक कुलसचिव | 9300-34800 | 5400 | वेतन स्तर 09 |
| 4 | विकास पदाधिकारी | 9300-34800 | 5400 | वेतन स्तर 09 |
| | युवा कल्याण पदाधिकारी | 9300-34800 | 5400 | वेतन स्तर 09 |
| 6 | योजना पदाधिकारी | 9300-34800 | 5400 | वेतन स्तर 09 |

* विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामान्य प्रशासन के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों को यू०जी०सी० द्वारा अनुशंसित वेतनमान यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने पर ही अनुमान्य होगा। वैसे शिक्षकेत्तर पदाधिकारी जो यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता धारित नहीं करते हैं, उन्हें शिक्षा विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 में अंकित अपुनरीक्षित वेतनमान का प्रतिस्थानी वेतन स्तर ही पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमान्य होगा।

| (ख). विश्वविद्यालय वित्त एवं अंकेक्षण विभाग | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1 | वित्तीय परामर्शी | 37400-67000 (पी०बी० 4) | 10000 | वेतन स्तर 14 |
| 2 | वित्त पदाधिकारी | 15600-39100 | 7600 | वेतन स्तर 12 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------|
| 3 | बजट-सह-लेखा पदाधिकारी (सहायक वित्त पदाधिकारी के रूप में नामित) | 9300-34800 | 5400 | वेतन स्तर 09 |
| (ग). विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग | | | | |
| 1 | परीक्षा महानियंत्रक | 37400-67000 | 10000 | वेतन स्तर 14 |
| 2 | परीक्षा नियंत्रक | 15600-39100 | 7600 | वेतन स्तर 12 |
| 3 | सहायक कुलसचिव (परीक्षा) | 9300-34800 | 5400 | वेतन स्तर 09 |
| (घ) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी | | | | |
| 1 | महाविद्यालय निरीक्षक | 37400-67000 | 10000 | वेतन स्तर 14 |
| 2 | सम्पर्क पदाधिकारी (लाईजन ऑफिसर) | 15600-39100 | 6600 | वेतन स्तर 11 |

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव/परीक्षा महानियंत्रक/ महाविद्यालय निरीक्षक/वित्तीय परामर्शी के पद पर जिस पंक्ति या संवर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, उन्हें तदनुसार विहित सेवा शर्तों के आलोक में ही वेतन एवं भत्तें देय होंगे।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय परामर्शी के पद पर राज्य सरकार के लेखा/राजस्व सेवा के नियमित रूप से कार्यरत वरीय पदाधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए। वैसे पदाधिकारी की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में ही विशेष परिस्थिति में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति इस पद पर की जाए।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु विश्वविद्यालयों से निम्नवत् आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है :-

(क) विश्वविद्यालयों द्वारा वेतन/पेंशन/अन्यान्य मदों में व्यय की जाने वाली राशि के लिए पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता का अनुपालन करेगा तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976/ पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 तथा बिहार वित्तीय नियमावली में वर्णित प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार एवं यू0जी0सी0 से प्राप्त राशि एवं व्यय की समय-समय पर अंकेक्षण कराया जाएगा ताकि पूर्णतः वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त वेतन/पेंशन एवं अन्यान्य मदों में प्राप्त अनुदान का समय सीमा के अन्दर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण – बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विधिवत् रूप से नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण निम्नांकित तालिका के स्तम्भ 06 में अंकित वेतन स्तर के अनुसार की जाएगी।

| (क) विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों का सामान्य स्थापना | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| क्र0 | पदनाम | दिनांक 01.01.2006 से विद्यमान वेतनमान | विद्यमान वेतन बैंड | विद्यमान ग्रेड पे | 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन स्तर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कुलपति के निजी सहायक | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 2 | प्रशासी पदाधिकारी | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 3 | प्रशाखा पदाधिकारी | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 4 | सुपर वाईजर सेल्स एण्ड पब्लिकेशन्स | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 5 | सहायक | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 6 | उच्च वर्गीय लिपिक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 7 | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |

| (ख) विश्वविद्यालय के आशुटकक कर्मियों का स्थापना | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|----------|------|--------------|---|
| 1 | आशुटकक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 2 | आशुटकक-ग्रेड-1 | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | आशुटकक-ग्रेड-2 | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4600 | वेतन स्तर 07 | |
| (ग) विश्वविद्यालय स्थापना के अन्य पद | | | | | | |
| 1 | मैकेनिक कम ड्राईवर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 2 | ड्राईवर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| (घ) विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालयों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का सामान्य स्थापना | | | | | | |
| 1 | डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | मैट्रिक/प्रशिक्षण योग्यता धारित के लिए वेतन स्तर 01 तथा जो ये शर्त पूरा नहीं करते हैं, उनके लिए वेतन स्तर 01A अनुशंसित। |
| 2 | फ्लाय बॉय | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 3 | टेलिफोन ऑपरेटर | 4440-7440 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 4 | लेथ मिस्त्री | 4440-7440 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 5 | इलेक्ट्रीसियन | 4440-7440 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 6 | माली | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 7 | चौकीदार | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 8 | क्लीनर | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 9 | स्वीपर | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 10 | दाई | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 11 | रेकॉर्ड स्पलायर | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 12 | दफ्तरी | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 13 | कुक | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 14 | गैसमैन | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 15 | हेड जमादार | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 16 | इलेक्ट्रीसियन | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 17 | बैंक पियून | 4440-7440 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 18 | नाईट गार्ड | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 19 | आदेशपाल | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 20 | फर्रास | 4440-7440 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| (ङ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय स्थापना (गैर शैक्षणिक) | | | | | | |
| 1 | प्रोफेशनल सहायक | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 2 | शोध सहायक | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | पुस्तकाध्यक्ष | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | यू0जी0सी0 की योग्यता नहीं रहने पर। |
| 4 | सहायक पुस्तकाध्यक्ष | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 5 | कैटलगर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | स्नातक के साथ |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|----------|------|--------------|--|
| | | | | | | पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा नहीं होने पर वेतन स्तर 02 अनुमान्य। |
| 6 | क्लासिफायर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा नहीं होने पर वेतन स्तर 02 अनुमान्य। |
| 7 | शार्टर (लाईब्रेरी क्लर्क) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |

(च) विश्वविद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी का स्थापना

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|----------|------|--------------|---|
| 1 | मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | 15600-39100 | पी0बी0-3 | 7600 | वेतन स्तर 12 | मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 2 | वरीय चिकित्सा पदाधिकारी | 15600-39100 | पी0बी0-3 | 6600 | वेतन स्तर 11 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 3 | चिकित्सा पदाधिकारी | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | (2). राज्य सरकार के अनुरूप नियुक्ति की योग्यता होने पर वेतन स्तर 09 अनुशंसित। |

राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के चिकित्सकों के समतुल्य होने पर राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों को राज्य सरकार के चिकित्सकों की भाँति वेतन पुनरीक्षण में प्रोन्नति/केन्द्रीय डायनेमिक ए0सी0पी0 आदि की सुविधा अनुमान्य किया जाएगा।

(छ) विश्वविद्यालय के चिकित्सा ईकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना

| | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|----------|------|--------------|---|
| 1 | कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
|---|--------------------------|------------|----------|------|--------------|---|

| | | | | | | |
|----|--|------------|----------|------|--------------|--|
| | | | | | | (2). राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य |
| 2 | लेखापाल-सह- भंडारपाल (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 3 | एक्सरे टैक्निसियन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2). राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य |
| 4 | भंडारपाल | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 5 | लेबोरेटरी तकनिसियन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2). राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य |
| 6 | फार्मासिस्ट | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2). राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता की स्थिति में वेतन स्तर 05 अनुमान्य |
| 7 | कम्पाउन्डर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 8 | वैक्सीनेटर-कम पैथेजियल लैव तकनीसियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 9 | सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | (1). मरणशील सम्बर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 10 | ड्रेसर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | (1). |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----------|------|--------------|--|
| 10 | ट्रेसर-कम-टेक्सिसियन (सेन्ट्रल डेस्पेन्सरी) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | मरणशील सम्बन्ध। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। (2) मैट्रिक की योग्यता नहीं होने की स्थिति में वेतन स्तर 01A अनुशासित |
|----|--|------------|----------|------|--------------|--|

(ज) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अभियंताओं का स्थापना

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------|------|--------------|--|
| 1 | विश्वविद्यालय अभियंता | 15600-39100 | पी0बी0-3 | 6600 | वेतन स्तर 11 | |
| 2 | सहायक अभियंता | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 5400 | वेतन स्तर 09 | |
| 3 | कनीय अभियंता | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |

(झ) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण इकाई के अन्य कर्मियों का स्थापना

| | | | | | | |
|----|---|------------|----------|------|--------------|--|
| 1 | आर्किटेक्चरल प्रारूपक | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 2 | प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | हेड स्टीमेटर ग्रेड 1 | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 4 | ड्राफ्ट स्टीमेटर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 5 | ड्राफ्ट मैन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 6 | स्टोर कीपर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 7 | पम्प मेकेनिक (वर्क्स डिपार्टमेंट) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 8 | हेड पम्प मिस्त्री (वर्क्स डिपार्टमेंट) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 9 | लेखापाल-सह- विशेष सहायक (कार्य विभाग) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 10 | पम्प मिस्त्री (कार्य विभाग) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 11 | ट्रेसर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 12 | मिस्त्री | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 13 | मुख्य फीटर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 14 | इलेक्ट्रीसियन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 15 | प्लम्बर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 16 | प्रयोगशाला मिस्त्री | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 17 | वर्क सरकार | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 18 | मुख्य बढई | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------|------|--------------|---|
| 19 | बढ़ई | 4440-7400 | एस0-1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | मैट्रिक / प्रशिक्षण योग्यता धारित के लिए वेतन स्तर 01 जो ये शर्त पूरा नहीं करते हैं, उनके लिए वेतन स्तर 01A अनुशंसित |
| 20 | बिजली मिस्त्री | 4440-7400 | एस0-1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 21 | टेलिफोन ऑपरेटर | 4440-7400 | एस0-1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 22 | आदेशपाल | 4440-7400 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |

(ज) विश्वविद्यालय के अंकेक्षण इकाई का स्थापना

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|----------|------|--------------|--|
| 1 | अंकेक्षक ग्रेड-1/आंतरिक अंकेक्षक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 06 | अंकेक्षक ग्रेड 2 एवं अंकेक्षक ग्रेड 1 का वेतनमान समान । |
| 2 | अंकेक्षक ग्रेड-2 | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | अंकेक्षक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |

(ट) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर कर्मियों का स्थापना

| | | | | | | |
|---|--|------------|----------|------|--------------|--|
| 1 | कम्प्यूटर टेकनिसियन | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 5400 | वेतन स्तर 09 | |
| 2 | प्रोग्रामर | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 5400 | वेतन स्तर 09 | |
| 3 | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 4 | के0 पंच ऑपरेटर (करीय कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में पुनर्नामित) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |

(ठ) विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला (लैब) के कर्मियों का स्थापना

| | | | | | | |
|---|--|------------|----------|------|--------------|---|
| 1 | आकॅलौजिकल कैमिस्ट स्नातकोत्तर (ए0आई0एच0ए0) | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 2 | माइक्रोएनालिस्ट | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | इस्पेक्ट्रो ग्राफिक एनालिस्ट | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 4 | इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 रसायन विभाग) | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 5 | इलेक्ट्रॉनिक टेकनिसियन (पी0जी0 भौतिकी) | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 6 | सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 7 | माइक्रोफोटोग्राफर आरक्योलॉजी फोटोग्राफर पेंटींग इस्ट्रक्टर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | डिग्री या डिप्लोमा धारी को ही वेतन स्तर 05 अनुमान्य अन्यथा वेतन स्तर 04 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----------|------|--------------|--|
| | | | | | | अनुमान्य। |
| 8 | ड्राफ्ट्समैन पी0जी0 भूगोल | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 9 | सांख्यिकी विद | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातक की योग्यता होने की स्थिति में ही वेतन स्तर 06 अनुमान्य अन्यथा वेतन स्तर 04 अनुमान्य |
| 10 | कलाकार-सह- सांख्यिकी विद | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 11 | एक्सप्लोरेशन एण्ड टेकनिकल असिस्टेन्ट | 9300-34800 | पी0बी0-2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 12 | तबलावादक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 13 | वरीय तबलावादक/ तबलावादक ग्रेड- 1 | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 14 | मुख्य तबलावादक/ तबलावादक ग्रेड- 2 | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 15 | सिनियर डाफ्टमैन (स्नातकोत्तर विभाग) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 16 | सर्वेयर (स्नातकोत्तर विभाग) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 17 | स्पेशल असिस्टेन्ट (स्नातकोत्तर विभाग) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 18 | इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप तकनिसियन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 19 | लैव इन्चार्ज/पदनामित प्रयोग प्रदर्शक (नियुक्ति के समय स्नातक योग्यताधारी) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 4200 | वेतन स्तर 06 | विभागीय पत्रांक 1893 दिनांक 22.10.2013 द्वारा इन्हे ग्रेडपे0 4200 अनुमान्य किया गया है, जिसके आलोक में अनुशसित |
| 20 | मैप प्रोसेसिंग असिस्टेन्ट स्नातकोत्तर भूगोल विभाग | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 21 | लेबोरेटरी सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|----------|------|--------------|---|
| 22 | लैब इन्चार्ज (आई०एस०सी०) | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 23 | कनीय प्रयोगशाला सहायक | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 24 | क्षेत्रीय सहायक (प्रयोगशाला) | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 25 | इन्स्ट्रूमेन्ट कीपर (पी०जी०) | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 26 | प्रयोगशाला तकनीसियन | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 27 | असिस्टेन्ट ड्राफ्ट मैन | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 28 | ग्लास बलोअर | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 29 | शॉर्टर-कम एकाउन्टेन्ट (स्नातकोत्तर इतिहास विभाग) | 5200-20200 | पी०बी०-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 30 | स्पेसीमेन कलेक्टर (पी०जी०) | 4440-7400 | एस० 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | (1) मैट्रिक/ प्रशिक्षण योग्यता धारित होने पर वेतन स्तर 01 अनुशंसित। जो ये शर्त पूरा नहीं करते, उनके लिए वेतन स्तर 01A अनुशंसित। (2). एनिमल किपर सिनियर का पद मरणशील सम्वर्ग का पद है, इसलिए सेवा निवृत्ति के पश्चात् कोई अनुशंसा नहीं |
| 31 | लैब वियरर | 4440-7400 | एस० 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 32 | एनिमल कीपर सिनियर | 4440-7400 | एस० 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| (ड) विश्वविद्यालय प्रेस कर्मियों का स्थापना | | | | | | |
| 1 | मुद्रणालय अधीक्षक | 9300-34800 | पी०बी० 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | आउटसोर्सिंग का पद। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 2 | हिन्दी अनुवादक | 9300-34800 | पी०बी० 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | मरणशील सम्वर्ग। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|----------|------|--------------|---|
| 3 | जेनरल फोरमेन (प्रेस) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | आउटसोर्सिंग का पद। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 4 | प्रेस प्रूफ रीडर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 5 | प्रूफ रीडर कम सुपरवाइजर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 6 | प्रधान वाचक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 7 | सिनियर प्रूफ रीडर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 8 | एकाउण्टेंट | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 9 | प्रेस मशीन मैन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 10 | जूनियर स्टोर कीपर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 11 | जूनियर प्रूफ रीडर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 12 | सिनियर बाईन्डर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 13 | सिनियर मशीन मैन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 14 | सिनियर कम्पोजिटर असिस्टेंट | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 15 | कम्प्यूटर प्रेस | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 16 | सेक्सन होल्डर-कम हेड कम्पोजिटर सीनियर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 17 | फिल्म ऑपरेटर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 18 | बुक बाइण्डर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 19 | मैनुस्क्रिप्ट बुक बाइण्डर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 20 | करेक्टर कम कम्पोजिटर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 21 | मोनो कास्टर (वरीय) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 22 | मोनो ऑपरेटर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 23 | सेक्सन होल्डर-सह मुख्य बाइन्डर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 24 | मोनो ऑपरेटर कनीय | 4440-7400 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 25 | प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर | 4440-7400 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 26 | प्रेस फ्लायब्यॉय | 4440-7400 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 27 | प्रेस कम्पोजिटर, सिनियर | 4440-7400 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 28 | जूनियर कम्पोजिटर डिस्टेम्बर | 4440-7400 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |
| 29 | करेक्टर कम कम्पोजिटर जूनियर | 4440-7400 | एस0 1 | 1650 | वेतन स्तर 01 | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-------|------|--------------|--|
| 30 | फलाय ब्याँय | 4440-7400 | एस0 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | आलोक में मैट्रिक की योग्यता धारित को वेतन स्तर 01 एवं जो ये शर्त पूरा नहीं करते उन्हें वेतन स्तर 01A अनुशासित। (2). आउटर्सोर्सिंग का पद। मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। |
| 31 | डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (मरणशील सम्बर्ग) | 4440-7400 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 32 | डिस्ट्रीब्यूटर कनीय | 4440-7400 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 33 | फार्म लिफ्टर कम कूली (पटना यूनिवर्सिटी प्रेस) | 4440-7400 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |
| 34 | प्रेस बाईण्डर | 4440-7400 | एस0 1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | |

(द) अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्थापना

(I) महाविद्यालय का सामान्य स्थापना

| | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|----------|------|--------------|--|
| 1 | सहायक | 9300-34800 | पी0बी0 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | (1) विभागीय संकल्प संख्या 73 दिनांक 09.01.2019 द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों को वेतन उत्क्रमण दिनांक 01.01.2006 से किया गया है, जिसके आलोक में मैट्रिक की योग्यता धारित को वेतन स्तर 01 एवं जो ये शर्त पूरा नहीं करते उन्हें वेतन स्तर 01A अनुशासित। |
| 2 | प्रधान लिपिक | 9300-34800 | पी0बी0 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | प्रधान लिपिक (लेखा) | 9300-34800 | पी0बी0 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 4 | उच्चवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 5 | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 6 | वाहन चालक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 7 | मिस्ट्री सह वाहन चालक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 8 | माली | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 9 | चौकीदार | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 10 | क्लीनर | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 11 | स्वीपर | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 12 | दाई | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 13 | रात्रि प्रहरी | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 14 | आदेशपाल | 4440-7440 | एस0-1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |

(II) महाविद्यालय पुस्तकालय इकाई

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|----------|------|--------------|---|
| 1 | सहायक पुस्तकाध्यक्ष | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | यदि स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा नहीं है, तो वेतन स्तर 02 अनुमान्य |
| 2 | कैटलगर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 3 | क्लासिफायर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 4 | पी0एल0 असिस्टेन्ट | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 5 | पुस्तकालय सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 6 | उच्चवर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 7 | शार्टर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 8 | निम्नवर्गीय लिपिक (पुस्तकालय में) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 9 | पुस्तकालय सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 10 | पुस्तकालय अटेन्डेन्ट | 4440-7440 | एस0- 1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | (1) विभागीय संकल्प संख्या 73 दिनांक 09.01.2019 द्वारा समूह "घ" के कर्मियों को वेतन उत्क्रमण दिनांक 01.01.2006 से किया गया है, जिसके आलोक में मैट्रिक योग्यता धारित को वेतन स्तर 01 एवं जो ये शर्तें पूरा नहीं करते उन्हें वेतन स्तर 01A अनुशासित। |

(III) महाविद्यालय के प्रयोगशाला (लैब) एवं अन्य सदृश्य स्थापना

| | | | | | | |
|---|---|------------|----------|------|--------------|--|
| 1 | कनीय अभियंता | 9300-34800 | पी0बी0 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 2 | आर्ट शिक्षक (पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज) | 9300-34800 | पी0बी0 2 | 4200 | वेतन स्तर 06 | |
| 3 | लैब इन्चार्ज/पदनामित प्रयोग प्रदर्शक (ग्रेजुएट) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 06 | विभागीय पत्रांक 1893 दिनांक 22.10.2013 द्वारा इन्हें वेतनमान 9300-34800 एवं ग्रेडपे0 4200 अनुमान्य है, जिसके |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|----------|------|--------------|---|
| | | | | | | आलोक में समान्य प्रतिस्थानी अनुशसित |
| 4 | आर्टिस्ट-कम- फोटोग्राफर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | डिप्ली/ डिप्लोमाधारी को ही अनुमान्य अन्यथा वेतन स्तर 04 अनुमान्य |
| 5 | पेन्टींग इन्स्ट्रक्टर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 6 | फोटोग्राफर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 7 | फोटो इन्स्ट्रक्टर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 8 | क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 9 | आर्टिस्ट | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 10 | आर्ट टीचर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2800 | वेतन स्तर 05 | |
| 11 | लेबोरेटरी सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 12 | लैव इन्चार्ज (आई0एस0सी0) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 13 | जूनियर लैव सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 14 | स्टोर कीपर (भंडारपाल) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 15 | सितारवादक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 16 | संगीत अनुदेशक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 17 | तबलावादक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2400 | वेतन स्तर 04 | |
| 18 | लेबोरेटरी तकनीसियन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 19 | सेक्सन कटर (पी0जी0) | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 20 | मैकेनिक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 21 | कनीय सहायक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 22 | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | |
| 23 | कम्पाउन्डर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 1900 | वेतन स्तर 02 | मरणशील पद। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की स्थिति में कोई नियुक्ति नहीं हो सकती है। |
| 24 | लेबोरेटरी तकनीसियन | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 02 | |
| 25 | ग्लास बलोअर | 5200-20200 | पी0बी0-1 | 2000 | वेतन स्तर 03 | |
| 26 | लैब बियरर | 4440-7440 | एस0 -1 | 1400 | वेतन स्तर 01 | (1) विभागीय संकल्प संख्या 73 दिनांक 09.01.2019 द्वारा समूह "घ" के कर्मियों को वेतन उत्क्रमण दिनांक 01.01.2006 से किया |
| 27 | एनिमल कीपर | 4440-7440 | एस0 -1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |
| 28 | फर्मास | 4440-7440 | एस0 -1 | 1300 | वेतन स्तर 01 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>गया है, जिसके आलोक में मैट्रिक/प्रशिक्षण योग्यता धारित होने पर वेतन स्तर 01 एवं जो ये शर्त पूरा नहीं करते उन्हें वेतन स्तर 01A अनुशासित। (2) सिनियर एनिमल किपर एवं जुनियर एनिमल किपर दोनों का वेतनमान एवं ग्रेडपे0 एक ही होने के कारण दोनों को समाहित करते हुए एक पद एनिमल किपर की अनुशासा की गई है। यह पद मरणशील सम्बर्ग है, जिसपर सेवा निवृत्ति के पश्चात पद रिक्ति की स्थिति में कोई अनुशासा मान्य नहीं होगी</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

14. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण – विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी उस पद पर जिस पद के विरुद्ध उसकी नियुक्ति हुई है अथवा कार्यरत है, उस पद के लिए लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना स्तर में वेतन आहरित करेगा :

परंतु यह कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी/कर्मी विद्यमान वेतन संरचना में अगली या पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि अर्जित करने की तिथि तक या विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना बंद कर देने पर या अपना पद खाली कर देने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहाँ विश्वविद्यालय सेवक को प्रोन्नति अथवा उन्नयन के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना के तिथि के बीच एक उच्चतर ग्रेड वेतन या स्केल में रखा जाता है वहाँ विश्वविद्यालय सेवक ऐसी प्रोन्नति या उन्नयन (यथास्थिति) की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का विकल्प चुन सकता है।

15. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों/पदाधिकारियों को संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण –

सामान्य फिटमेंट-

(क) सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में – वेतन मैट्रिक्स में लागू वेतन स्तर में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक में विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाश किया जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू वेतन स्तर की किसी कोष्ठिका में उस राशि के समरूप कोई राशि वर्णित है, तो वही राशि उस पदाधिकारी/कर्मि का पुनरीक्षित वेतन होगा। यदि लागू वेतन स्तर में ऐसी कोष्ठिका उपलब्ध नहीं हो तो वेतन मैट्रिक्स के उस वेतन स्तर में उसके ठीक उच्चतर कोष्ठिका में अंकित राशि के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण :

| 1 | विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1 | वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | |
|---|---|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400 | ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 3 | वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 10160 | लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160 + 2400) | 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
| | | 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
| 5 | 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन : 12560 X 2.57 = | 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| | | 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |

| | | | | | | | |
|---|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 32279.20 (32279 में पूर्णांकित) | 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
| | | 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 |
| 6 | ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4 | 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |
| | | 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 |
| 7 | वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 32300 | 9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 |
| | | 10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 |
| | | 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 |

(ख). पद के उन्नयन के मामले में फिटमेंट – यदि किसी पद को समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए वेतन स्तर जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण खण्ड (क) के अनुसार निर्धारित विधि से किया जायेगा।

उदाहरण :

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1 | विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1 | वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | | |
| 2 | विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400 | | ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 3 | विद्यमान मूल वेतन: 12560 | | | लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | उन्नत ग्रेड वेतन: 2800 | 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 | |
| 5 | निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960 (10160 + 2800) | 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 | |
| 6 | क्रम संख्या 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन : 33307.20 (33307) में पूर्णांकित) | 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 | |
| 7 | ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5 | 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 | |
| 8 | वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307) के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900 | 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 | |
| | | 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 | |
| | | 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 | |

(ग). कोई विश्वविद्यालय सेवक जो 1 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 1 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जायेगा।

(घ). कोई विश्वविद्यालय सेवक जो 1 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है तो वह 1 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जायेगा।

(ङ). निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिये जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।

(च) यदि स्थायी पदधारक विश्वविद्यालय सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पद के लिए लागू वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप-नियम (क) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जायेगा।

(छ). यदि किसी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियाँ "संशोधित परिलब्धियाँ" से अधिक है तो वह अंतर व्यक्तिगत वेतन में रूप में दिया जायेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा।

(ज). यदि कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी 1 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी कैडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (क) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जायेगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।



(झ). (1) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक जो 1 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा— निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यक्षीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जायेगी, अर्थात्

(i) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों विश्वविद्यालय सेवक एक ही काडर के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी काडर के समरूप पद हो :

(ii) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हो, की संशोधन— पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना के समरूप हो :

(iii) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ विश्वविद्यालय सेवक कनिष्ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(iv) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई है :

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गयी किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किये जाएंगे।

खण्ड के अनुशरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतनवृद्धि पाने के हकदार होगा।





16. 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण। - 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पद पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए अनुमान्य/लागू वेतन स्तर के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा :

बर्शाते, कि 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियाँ उस पद जिस पर उसे 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिए लागू वेतन स्तर के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसा अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन में रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

यह नियम 1 जनवरी, 2016 को या इसके उपरांत सीधी नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की विधि विहित करता है।

17. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि । - किसी विश्वविद्यालय सेवक की वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में उसे लागू वेतन स्तर की लम्बवत् कोष्ठिका में यथा विनिर्दिष्ट रूप से दी जाएगी।

उदाहरण :

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| वेतन स्तर 4 में 32,300 रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी वेतन स्तर में लम्बवत् नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 33,300 रुपये हो जाएगा। | वेतन बैण्ड | 5200-20200 | | | | |
| | गेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
| | लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |

| | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
| | 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| | 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
| | 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
| | 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 |
| | 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |
| | 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 |
| | 9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 |
| | | | | | I | |
| | 10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 |
| | 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 |

18. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख। -

(i) वर्तमान में लागू 1 जुलाई की निर्धारित वेतन वृद्धि की तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी ओर 1 जुलाई :

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण :

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर

प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गयी है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतन वृद्धि एक वर्ष के अंदर वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्त या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गयी हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेबल में जिसमें उनका वेतन 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया जाता है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 1 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, अगली वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी :

बशर्ते यह भी कि 1 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2017 को प्राप्त होगी।

19. 1 जनवरी, 2016 के पश्चातवर्ती तारीख से वेतन का संशोधन ।

— यदि कोई विश्वविद्यालय सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता और उसे 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 15 के उप नियम (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

20. 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण। — संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर से दूसरे में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा : उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गयी है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण :

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | संशोधित वेतन संरचना में लेवल: लेवल 4 | वेतन बैण्ड | 5200—20200 | | | | |
| 2 | संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700 | गेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 3 | प्रोन्नति/एम0ए0सी0पी0 स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में | लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600 | 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 |
| 5 | उन्नत वेतन लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि) | 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 |
| | | 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 |
| | | 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 |
| | | 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 |
| | | 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 |
| | | 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 |

21. वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया राशि का भुगतान—
राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकों
के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उद्भूत बकाया राशि का भुगतान किस्तवार किए जाने
हेतु शिक्षा विभाग, वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लेगा। परंतु बकाया भुगतान की जो
राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली है, उसे केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरांत ही
भुगतान करने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण
से उद्भूत होने वाले बकाया राशि का भुगतान के संदर्भ में भी आवश्यक निर्णय लेते हुए
शीघ्र बकाया भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

22. वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कुछेक
विशिष्ट अनुशंसा भी की गई है, जिसके आलोक में सभी विश्वविद्यालयों के स्तर
से निम्न वर्णित कार्रवाई अपेक्षित है :-

(क). बिहार भौतिक संसाधन की दृष्टिकोण से यद्यपि तुलनात्मक रूप से आर्थिक रूप से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जिसके सम्पूर्ण बजट का लगभग 20% हिस्सा शिक्षा के उन्नयन पर व्यय किया जाता है। इससे राज्य के अन्य क्षेत्रों का विकास प्रभावित होता है, पर यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि यह प्रदेश मानव संसाधन की दृष्टिकोण से एक सम्पन्न प्रदेश है तथा यहाँ के शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों में प्रतिभा भी कोई कमी है, बावजूद इसके इस राज्य में शोध कार्यों से कोई भी संसाधन उपार्जित नहीं किए जा रहे हैं। अब यह समय आ गया है कि राज्य के विश्वविद्यालय शोध एवं अनुसंधान कार्यों से अपने आंतरिक संसाधन का उपार्जन करें। अतः राज्य के सभी विश्वविद्यालय अपने आंतरिक संसाधनों के अभिवृद्धि के संदर्भ में एक वर्ष के अंदर कार्य योजना तैयार कर राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर लेंगे।

(ख). राज्य के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा तब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है जब तक कि पर्याप्त संख्या में प्रतिभावान शिक्षक शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत लगभग 13500 पदों के विरुद्ध मात्र 5500 शिक्षक ही कार्यरत हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, परंतु इसकी गति अत्यंत धीमी है। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(ग). राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के भी बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप निःसंदेह प्रभावित हो रहे हैं। परंतु यहाँ यह तथ्य भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आज तक राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए कोई वैधानिक तंत्र उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए भी राज्य कर्मियों की भाँति वेतनमान स्वीकृत करती है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ग III के शिक्षकेत्तर कर्मियों के पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु किसी आयोग का गठन करेगी और जब तक इस प्रकार का कोई आयोग गठित नहीं हो जाता है तब तक कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के वर्ग III के

शिक्षकेत्तर कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में यदि कोई विधायी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(घ). राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित है, जबकि राज्य सरकार के कर्मियों के लिए यह आयु सीमा 60 वर्ष है। विश्वविद्यालय के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति ही अन्य सारी सुविधाएँ दी जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा की वृद्धि कोई औचित्य नहीं है।

(ङ). राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों के ज्ञान वर्धन एवं कौशल विकास हेतु सभी शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों पर आयोजित होनेवाले सेमिनार/वर्कशॉप में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय इसके लिए आंतरिक संसाधन से कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(च). राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य लगभग की स्थिति दयनीय है। विश्वविद्यालय शिक्षक प्रायः इस दिशा में उदासीन है। शोध कार्य नहीं होने से विद्यार्थियों को भी ज्ञानवर्धन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य का माहौल विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय अपने आंतरिक संसाधन का उपार्जन करते हुए विश्वविद्यालय में शोध कार्य के उन्नयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

पुनरीक्षित भत्तों की अनुमान्यता

23. राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों को भी निम्न रूपेण संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय कर्मियों को निम्न वर्णित भत्तों को अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) मकान किराया भत्ता

| वर्ग | शहर का नाम | भत्ता का दर |
|-----------------|--|-----------------|
| I | II | III |
| Y | पटना (यू0ए0) | मूल वेतन का 16% |
| Z | अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय (यू0ए0), बेतिया, भागलपुर (यू0ए0), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू0ए0), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू0ए0), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी (यू0ए0), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ (यू0ए0), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू0ए0), सीवान एवं सुपौल। | मूल वेतन का 8% |
| अवर्गीकृत शहर | | मूल वेतन का 6% |
| ग्रामीण क्षेत्र | | मूल वेतन का 4% |

(ख). शहरी परिवहन भत्ता

(i) शिक्षकों के संदर्भ में

| क्र० | वेतन स्तर | शहरी परिवहन भत्ता | |
|------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | (पटना यू0ए0) | अन्य नगर निगम |
| I | II | III | IV |
| 1 | वेतन स्तर -10 | RS. 3000 + DA | RS. 1000 + DA |
| 2 | वेतन स्तर- 11 एवं अधिक | RS. 4000 + DA | RS. 1500+ DA |

22

(ii) शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मियों के संदर्भ में

| क्र० | वेतन स्तर | शहरी परिवहन भत्ता | |
|------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | (पटना यू०ए०) | अन्य नगर निगम |
| I | II | III | IV |
| 1 | वेतन स्तर- 11 एवं अधिक | RS. 4000 + DA | RS. 1500 + DA |
| 2 | वेतन स्तर- 7, 8 एवं 9 | RS. 3000 + DA | RS. 1000+ DA |
| 3 | वेतन स्तर- 1 से 6 | RS. 1500 + DA | RS. 600+ DA |

राज्य के विश्वविद्यालयों के वैसे शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को ही उपरोक्त वर्णित विवरणी के अनुसार शहरी परिवहन भत्ता देय होगा, जो नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अन्य कर्मियों को इसका लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ग). चिकित्सा भत्ता- विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वर्तमान में प्रतिमाह 200/- रुपये चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित करते हुए प्रतिमाह रुपये 1,000/- की दर से चिकित्सा भत्ता अनुमान्य किया जाता है।

2. पुनरीक्षित भत्तों की स्वीकृति आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जा सकेगी तथा आदेश निर्गत होने की तिथि तक विश्वविद्यालय शिक्षकों/कर्मियों को अपुनरीक्षित दर पर ही भत्ते अनुमान्य होंगे।


3. इस संकल्प में भविष्य में यदि कोई टंकण त्रुटि दृष्टिगत होती है तो उसे वित्त विभाग की सहमति से विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात संशोधित कर लिया जाएगा।



4. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार के वेतन विसंगति का निराकरण करने हेतु वित्त विभाग की सहमति से शिक्षा विभाग सक्षम होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक 06/3/2019

ज्ञाप संख्या 15/एम 1-20/2018 – 591

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।




(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक 06/3/2019

ज्ञाप संख्या 15/एम 1-20/2018 – 591

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सतीश चन्द्र झा)


सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक 06/3/2019

ज्ञाप संख्या 15/एम 1-20/2018 – 591

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/राज्य परियोजना निदेशक, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्/कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14 एवं 15, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।



(सतीश चन्द्र झा)

सरकार के विशेष सचिव

SCHEDULE-I

| Academic Grade Pay in unrevised scale (in Rs.) | Pay Level in revised scale (in Rs.) |
|--|-------------------------------------|
| 6,000 | 10 |
| 7,000 | 11 |
| 8,000 | 12 |
| 9,000 | 13A |
| 10,000 | 14 |
| | 15 |

SCHEDULE-II

Pay Matrix

| Pay Band (Rs.) | 15,600 - 39,100 | | | 37,400 - 67,000 | | 67,000-79,000 |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|
| Grade pay (Rs.) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 0 |
| Index of Rationalization | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.72 | 2.72 |
| Entry Pay (Rs.) | 21,600 | 25,790 | 29,900 | 49,200 | 53,000 | 67,000 |
| Academic Level | 10 | 11 | 12 | 13A | 14 | 15 |
| Rationalised Entry Pay (Rs.) 1 | 57,700 | 68,900 | 79,800 | 1,31,400 | 1,44,200 | 1,82,200 |
| 2 | 59,400 | 71,000 | 82,200 | 1,35,300 | 1,48,500 | 1,87,700 |
| 3 | 61,200 | 73,100 | 84,700 | 1,39,400 | 1,53,000 | 1,93,300 |
| 4 | 63,000 | 75,300 | 87,200 | 1,43,600 | 1,57,600 | 1,99,100 |
| 5 | 64,900 | 77,600 | 89,800 | 1,47,900 | 1,62,300 | 2,05,100 |
| 6 | 66,800 | 79,900 | 92,500 | 1,52,300 | 1,67,200 | 2,11,300 |
| 7 | 68,800 | 82,300 | 95,300 | 1,56,900 | 1,72,200 | 2,17,600 |
| 8 | 70,900 | 84,800 | 98,200 | 1,61,600 | 1,77,400 | 2,24,100 |
| 9 | 73,000 | 87,300 | 1,01,100 | 1,66,400 | 1,82,700 | |
| 10 | 75,200 | 89,900 | 1,04,100 | 1,71,400 | 1,88,200 | |
| 11 | 77,500 | 92,600 | 1,07,200 | 1,76,500 | 1,93,800 | |
| 12 | 79,800 | 95,400 | 1,10,400 | 1,81,800 | 1,99,600 | |
| 13 | 82,200 | 98,300 | 1,13,700 | 1,87,300 | 2,05,600 | |
| 14 | 84,700 | 1,01,200 | 1,17,100 | 1,92,900 | 2,11,800 | |
| 15 | 87,200 | 1,04,200 | 1,20,600 | 1,98,700 | 2,18,200 | |
| 16 | 89,800 | 1,07,300 | 1,24,200 | 2,04,700 | | |
| 17 | 92,500 | 1,10,500 | 1,27,900 | 2,10,800 | | |

| | | | | | | |
|----|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 18 | 95,300 | 1,13,800 | 1,31,700 | 2,17,100 | | |
| 19 | 98,200 | 1,17,200 | 1,35,700 | | | |
| 20 | 1,01,100 | 1,20,700 | 1,39,800 | | | |
| 21 | 1,04,100 | 1,24,300 | 1,44,000 | | | |
| 22 | 1,07,200 | 1,28,000 | 1,48,300 | | | |
| 23 | 1,10,400 | 1,31,800 | 1,52,700 | | | |
| 24 | 1,13,700 | 1,35,800 | 1,57,300 | | | |
| 25 | 1,17,100 | 1,39,900 | 1,62,000 | | | |
| 26 | 1,20,600 | 1,44,100 | 1,66,900 | | | |
| 27 | 1,24,200 | 1,48,400 | 1,71,900 | | | |
| 28 | 1,27,900 | 1,52,900 | 1,77,100 | | | |
| 29 | 1,31,700 | 1,57,500 | 1,82,400 | | | |
| 30 | 1,35,700 | 1,62,200 | 1,87,900 | | | |
| 31 | 1,39,800 | 1,67,100 | 1,93,500 | | | |
| 32 | 1,44,000 | 1,72,100 | 1,99,300 | | | |
| 33 | 1,48,300 | 1,77,300 | 2,05,300 | | | |
| 34 | 1,52,700 | 1,82,600 | 2,11,500 | | | |
| 35 | 1,57,300 | 1,88,100 | | | | |
| 36 | 1,62,000 | 1,93,700 | | | | |
| 37 | 1,66,900 | 1,99,500 | | | | |
| 38 | 1,71,900 | 2,05,500 | | | | |
| 39 | 1,77,100 | | | | | |
| 40 | 1,82,400 | | | | | |

SCHEDULE-III

1.1. Comparative List of Pay Levels

| 5 th CPC | 6 th CPC | 7 th CPC |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2550-3200 | 1650/1800 | Level 1 |
| 2610-3540 | | |
| 2650-4000 | | |
| 2750-4400 | | |
| 3050-4590 | 1900 | Level 2 |
| 3200-4900 | 2000 | Level 3 |
| 4000-6000 | 2400 | Level 4 |
| 4500-7000 | 2800 | Level 5 |
| 5000-8000 | 4200 | Level 6 |
| 5500-9000 | | |
| 6500-10500 | 4600 | Level 7 |
| 7450-11500 | | |
| 7500-12000 | 4800 | Level 8 |
| 8000-13500 | 5400 | Level 9 |
| 10000-15200 | 6600 | Level 11 |
| 12000-16500 | 7600 | Level 12 |
| 14300-18300 | 8700 | Level 13 |
| 16400-20000 | 8900 | Level 13A |
| 18400-22400 | 10000 | Level 14 |

Note- From 5th CPC to 7th CPC the number of pay levels have come down from 19 to 14.

SCHEDULE -IV

| Pay Band | 4440-7440 | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | | 15600-39100 | | 37400-67000 | | |
|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 | 10000 |
| Entry pay | 1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13A | 14 |
| Level | 1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13A | 14 |
| 1 | 15700 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 | 35400 | 44900 | 47600 | 53100 | 67700 | 78800 | 123100 | 131100 | 144200 |
| 2 | 16200 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 | 36500 | 46200 | 49000 | 54700 | 69700 | 81200 | 126800 | 135000 | 148500 |
| 3 | 16700 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 | 37600 | 47600 | 50500 | 56300 | 71800 | 83600 | 130600 | 139100 | 153000 |
| 4 | 17200 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 | 38700 | 49000 | 52000 | 58000 | 74000 | 86100 | 134500 | 143300 | 157600 |
| 5 | 17700 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 | 39900 | 50500 | 53600 | 59700 | 76200 | 88700 | 138500 | 147600 | 162300 |
| 6 | 18200 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 | 41100 | 52000 | 55200 | 61500 | 78500 | 91400 | 142700 | 152000 | 167200 |
| 7 | 18700 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 | 42300 | 53600 | 56900 | 63300 | 80900 | 94100 | 147000 | 156600 | 172200 |
| 8 | 19300 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 | 43600 | 55200 | 58600 | 65200 | 83300 | 96900 | 151400 | 161300 | 177400 |
| 9 | 19900 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 | 44900 | 56900 | 60400 | 67200 | 85800 | 99800 | 155900 | 166100 | 182700 |
| 10 | 20500 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 | 46200 | 58600 | 62200 | 69200 | 88400 | 102800 | 160600 | 171100 | 188200 |
| 11 | 21100 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 | 47600 | 60400 | 64100 | 71300 | 91100 | 105900 | 165400 | 176200 | 193800 |
| 12 | 21700 | 24900 | 27600 | 30200 | 35300 | 40400 | 49000 | 62200 | 66000 | 73400 | 93800 | 109100 | 170400 | 181500 | 199600 |
| 13 | 22400 | 25600 | 28400 | 31100 | 36400 | 41600 | 50500 | 64100 | 68000 | 75600 | 96600 | 112400 | 175500 | 186900 | 205600 |
| 14 | 23100 | 26400 | 29300 | 32000 | 37500 | 42800 | 52000 | 66000 | 70000 | 77900 | 99500 | 115800 | 180800 | 192500 | 211800 |
| 15 | 23800 | 27200 | 30200 | 33000 | 38600 | 44100 | 53600 | 68000 | 72100 | 80200 | 102500 | 119300 | 186200 | 198300 | 218200 |
| 16 | 24500 | 28000 | 31100 | 34000 | 39800 | 45400 | 55200 | 70000 | 74300 | 82600 | 105600 | 122900 | 191800 | 204200 | |
| 17 | 25200 | 28800 | 32000 | 35000 | 41000 | 46800 | 56900 | 72100 | 76500 | 85100 | 108800 | 126600 | 197600 | 210300 | |
| 18 | 26000 | 29700 | 33000 | 36100 | 42200 | 48200 | 58600 | 74300 | 78800 | 87700 | 112100 | 130400 | 203500 | 216600 | |
| 19 | 26800 | 30600 | 34000 | 37200 | 43500 | 49600 | 60400 | 76500 | 81200 | 90300 | 115500 | 134300 | 209600 | | |
| 20 | 27600 | 31500 | 35000 | 38300 | 44800 | 51100 | 62200 | 78800 | 83600 | 93000 | 119000 | 138300 | 215900 | | |
| 21 | 28400 | 32400 | 36100 | 39400 | 46100 | 52600 | 64100 | 81200 | 86100 | 95800 | 122600 | 142400 | | | |
| 22 | 29300 | 33400 | 37200 | 40600 | 47500 | 54200 | 66000 | 83600 | 88700 | 98700 | 126300 | 146700 | | | |
| 23 | 30200 | 34400 | 38300 | 41800 | 48900 | 55800 | 68000 | 86100 | 91400 | 101700 | 130100 | 151100 | | | |
| 24 | 31100 | 35400 | 39400 | 43100 | 50400 | 57500 | 70000 | 88700 | 94100 | 104800 | 134000 | 155600 | | | |
| 25 | 32000 | 36500 | 40600 | 44400 | 51900 | 59200 | 72100 | 91400 | 96900 | 107900 | 138000 | 160300 | | | |
| 26 | 33000 | 37600 | 41800 | 45700 | 53500 | 61000 | 74300 | 94100 | 99800 | 111100 | 142100 | 165100 | | | |
| 27 | 34000 | 38700 | 43100 | 47100 | 55100 | 62800 | 76500 | 96900 | 102800 | 114400 | 146400 | 170100 | | | |
| 28 | 35000 | 39900 | 44400 | 48500 | 56800 | 64700 | 78800 | 99800 | 105900 | 117800 | 150800 | 175200 | | | |
| 29 | 36100 | 41100 | 45700 | 50000 | 58500 | 66600 | 81200 | 102800 | 109100 | 121300 | 155300 | 180500 | | | |
| 30 | 37200 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 68600 | 83600 | 105900 | 112400 | 124900 | 160000 | 185900 | | | |
| 31 | 38300 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 70700 | 86100 | 109100 | 115800 | 128600 | 164800 | 191500 | | | |
| 32 | 39400 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 72800 | 88700 | 112400 | 119300 | 132500 | 169700 | 197200 | | | |
| 33 | 40600 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 75000 | 91400 | 115800 | 122900 | 136500 | 174800 | 203100 | | | |
| 34 | 41800 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 77300 | 94100 | 119300 | 126600 | 140600 | 180000 | 209200 | | | |
| 35 | 43000 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 79600 | 96900 | 122900 | 130400 | 144800 | 185400 | | | | |
| 36 | 44300 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 82000 | 99800 | 126600 | 134300 | 149100 | 191000 | | | | |
| 37 | 45600 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 84500 | 102800 | 130400 | 138300 | 153600 | 196700 | | | | |
| 38 | 47000 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 87000 | 105900 | 134300 | 142400 | 158200 | 202600 | | | | |
| 39 | 48400 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 89600 | 109100 | 138300 | 146700 | 162900 | 208700 | | | | |
| 40 | 49900 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 92300 | 112400 | 142400 | 151100 | 167800 | | | | | |